राजस्थान राज्य में सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती व्यवस्था

*डॉ. विनिषा सिंह

शोध सारांश

कार्मिक प्रशासन की एक प्रमुख समस्या 'भर्ती' की है। प्रशासकीय संरचना में भर्ती की प्रक्रिया का सम्पूर्ण प्रशासनतंत्र की दृष्टि से केन्द्रीय महत्त्व है। क्योंकि भर्ती के द्वारा ही लोक सेवाओं का स्तर और योग्यता निश्चित होती है तथा इसी पर शासन की उपयोगिता और समाज एवं शासन तंत्र के सम्बन्ध का निर्धारण होता है।[1]

राजस्थान में कृषि विभाग में भर्ती व्यवस्थाः

कृषि विभाग में अनेक स्तर हैं जिनमें सत्ता उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नस्तरीय कार्मिक उच्च स्तर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोक सेवकों को पदों की स्थिति के अनुसार चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। प्रथम श्रेणी के अधिकारी संगठन में सर्वोच्च पद पर स्थित होते हैं। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी उच्च प्रशासकीय एवं दायित्वों का सम्पादन करते हैं। तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, लिपिक संवर्ग एवं सक्षम पदों को शामिल किया जाता है। ये अधीनस्थ सेवा का संवर्ग है जो उच्च अधिकारियों के कार्य में सहयोग करता है।

सहायक कृषि अधिकारी कृषकों के साथ सम्पर्क में आकर प्रसार शिक्षा के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करता है एवं उन्हें कृषि की नई तकनीकों के बारे में जानकारी देता है।

चतुर्थ श्रेणी में निम्न स्तर के कर्मचारी आते है जिसमें चपरासी, बढ़ई, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, अर्दली, खानसामा, दफ्तरी चौकीदार आदि होते है।[2]

कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती व्यवस्थाः

यह पद विस्तार अनुभाग में ही है। वर्तमान में इन पदों पर भर्ती 50 प्रतिशत पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा की जाती है। इससे पूर्व सहायक कृषि अधिकारी के पद भर्ती 15 प्रतिशत पदोन्नति, 50 प्रतिशत कृषि पर्यवेक्षकों में से तथा 5 प्रतिशत ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं में से की जाती है। जिसे 1 अप्रेल 1991 से संशोधित किया जा चुका है। इस पद के लिए सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कृषि स्नातक तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष है। सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है।[3]

1991 से पूर्व सहायक कृषि अधिकारियों के पद पर भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्तियाँ निकाली जाती थी एवं समयावधि देते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते थे तथा आवेदन पत्रों की गणना के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु प्रार्थी को बुलाया जाता था तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता था।

लेकिन 1991 से विभागीय विचार विमर्श एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के निर्णय के उपरान्त लिखित परीक्षा लेकर मेरिट बनती है तथा मेरिट के आधार पर अभ्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। तत्पश्चात् चयन किया जाता है।

1991 से पूर्व भर्ती व्यवस्था:[4]

सहायक कृषि अधिकारी का पद राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा केडर में कृषि विभाग के अन्तर्गत आता है। 1991 से पूर्व कृषि सहायक, अथवा कृषि विस्तार अधिकारी अथवा फार्म मैनेजर पदों को 2 अप्रैल 1991 से सहायक कृषि अधिकारी पद में मिला दिया गया। इस पद पर भर्ती दो विधियों से की जाती थी :–

(1) सीधी भर्ती

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती

(1) सीधी भर्ती– क्रार्मिक विभाग के NOTIFICATION F2(5)JDOP/A-II/77 दिनांक 7.02.1989 के अनुसार सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती हेतु 75 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार स्थापित विश्वविद्यालय में कृषि स्नातकों को इस पद के योग्य माना गया। इस भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गयी।

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती – 'राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978' के अन्तर्गत कृषि पर्यवेक्षकों से सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाती थी। 1991 से पूर्व सामुदायिक विकास कार्यक्रम व पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता भी सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति के पात्र मानें गये।

क्रार्मिक विभाग के NOTIFICATION F2(5)JDOP/A-II/77 दिनांक 07.02.1989 के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी की पदोन्नति हेतु 12.5 प्रतिशत कृषि पर्यवेक्षक तथा 12.5 प्रतिशत ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता निर्धारित थे।

1 अप्रेल 1991 से पूर्व भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत कुल स्वीकृत पदों का 45 प्रतिशत कृषि पर्यवेक्षकों से तथा 5 प्रतिशत ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ताओं से सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती थी।

सहायक कृषि अधिकारियों की पदोन्नति हेतु ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता एवं कृषि पर्यवेक्षक के पद पर 10 वर्ष का सेवानुभव अनिवार्य था। पदोन्नति के दौरान व्यक्ति की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती थी।

1991 से वर्तमान तक भर्ती व्यवस्था[5]

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सहायक कृषि अधिकारी का पद 'राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978' के अन्तर्गत आता है। 1 अप्रेल, 1991 से इस पद पर सीधी भर्ती हेतु 50 प्रतिशत राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा 45 प्रतिशत कृषि पर्यवेक्षकों से पदोन्नति तथा 5 प्रतिशत ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता से पदोन्नति में से लिये जाते हैं।

(1) योग्यता – सहायक कृषि अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता कृषि स्नातक ही रखी गई जिसकी अधिसूचना 4.9.1992 को जारी हुई। वेतनमान नियमों में वे सहायक कृषि अधिकारी जो उच्च शिक्षा–कृषि स्नातकोत्तर एवं विधावाचस्पति उपाधि प्राप्त हैं, को 10 अग्रिम सामयिक वेतन वृद्धि का लाभ उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिये जाने का प्रावधान रखा गया। अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसका चरित्र स्वच्छ होना

चाहिए। इस पद के लिए उसे विश्वविद्यालय या विद्यालय के प्राचार्य द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता हैं। पदोन्नति हेतु जो कृषि पर्यवेक्षक कृषि स्नातक हैं तथा जिन्हें 5 वर्ष का सेवानुभव है। वे सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य होते हैं। इसी क्रम में यदि वह कृषि संकाय से सैकण्डरी है तो उसके सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 10 वर्ष का सेवानुभव अनिवार्य है।

(2) **आयु** – वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक कृषि अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए कृषि स्नातकों की आयु सीमा 18–35 वर्ष निर्धारित है। महिलाओं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है। वे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवा में हैं वे उक्त पद हेतु 40 वर्ष की आयु तक सीधी भर्ती हेतु योग्य हैं।

(3) **आरक्षण** – वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21 प्रतिशत तथा विकलांगो के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। शेष पद सामान्य वर्ग के लिए रखे गये हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था है। वर्तमान में सीधी भर्ती प्रक्रिया में 1/3 पद महिला कृषि स्नातकों के लिए निर्धारित कर दिए गए है।

(4) **चयन कमेटी का गठन** – सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं। इसमें बोर्ड का सदस्य चयन कमेटी का अध्यक्ष होता है। इसमें 2 सदस्य कृषि विशेषज्ञ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, (पूसा) नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या सेवानिवृत प्रोफेसर व राजस्थान कृषि विभाग का उच्च अधिकारी होते हैं। ये सभी सदस्य मिलकर एक कमेटी के रूप में कार्य करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कृषि शाखा द्वारा सहायक कृषि अधिकारियों की लिखित परीक्षा ली जाती है तथा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है।

(5) **लिखित परीक्षा** – वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस लिखित परीक्षा में कृषि स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। लिखित परीक्षा में 15, 50 व 200 शब्दों के प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। परीक्षा का समय सामान्यतः 3 घण्टे का होता हैं। यह लिखित परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग हेतु रखी जाती है। अर्थात् अन्तिम चयन में इसके प्राप्तांकों को आधार नहीं माना जाता। लिखित परीक्षा में अधिकाश प्रश्न कृषि से संबंधित होते हैं तथा कुछ प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं।

(6) **साक्षात्कार–** लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार साक्षात्कार लिया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग साक्षात्कार हेतु एक चयन मण्डल का निर्माण करता है जिसमें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस मण्डल की अध्यक्षता करता है। अन्य सदस्य में इस चयन मण्डल में अभ्यर्थी के विषय ज्ञान की जांच हेतु दो कृषि विशेषज्ञ शामिल किए जाते हैं जो कि कृषि अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विस्तार सेवाओं के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा विशेषज्ञ होते हैं। साक्षात्कार में अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि उसे कृषि संबंधी पूर्ण जानकारी हो।

सहायक कृषि अधिकारी के पद पर नई भर्ती नियम [6]

'राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978' यथा संशोधित 1.4.91 के तहत 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित व्यक्ति के उपलब्ध होने पर किए जाने का प्रावधान है।

वित्त विभाग, रूल्स डिवीजन ने अपनी अधिसूचना 13.3.2006 को 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' में दिनांक 20.1.2006 से राजस्थान सेवा नियम में आवश्यक संशोधन नई भर्ती प्रोविजन में किए हैं :–

1. दिनांक 20.1.2006 से नई भर्ती वाले कार्मिकों को 2 वर्ष तक 'प्रोबेशनल बेस्ड ट्रेनिज' के रूप में नियुक्ति दिए जाने का प्रावध्याान है। तदोपरान्त प्रोविजन पीरियड (परिवीक्षा काल) समाप्त होने पर तथा संतोषजनक सेवा पाए जाने पर अस्थाई नियुक्त सहायक कृषि अधिकारी को न्यूनतम वेतनमान में वेतन श्रृंखला देय है। परिवीक्षा काल में वेतन वृद्धि, अवकाश एवं अन्य भत्ते देय नहीं है।
2. वित्तीय विभाग की अधिसूचना 13.3.06 के अन्तर्गत छठे वेतनमान से पूर्व सहायक कृषि अधिकारी को निश्चित राशि 5450/– रू. देये है। इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है तथा प्रतिवर्ष 12 आकस्मिक अवकाश देय है।

छठे वेतन आयोग के बाद परिवीक्षा काल में दो वर्ष निश्चित राशि 11,100/– रू. दिये जाने का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति की शर्ते जैसे शैक्षिणक योग्यता, आयु आदि यथावत हैं।

भर्ती व्यवस्था संबंधी उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारीः

प्रतिदर्श में चयनित 125 उत्तरदाताओं से भर्ती व्यवस्था को जानने के लिए प्रश्न पूछे गए जिसका विवरण अग्रलिखित है :–

तालिका 1.1
उत्तरदाताओं द्वारा वर्तमान पद ग्रहण करने की अवधि

वर्ष	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1966–1970	10	8.0
1971–1975	47	37.6
1976–1980	43	34.4
1981–1985	5	4.0
1986–1990	6	4.8
1991–1995	7	5.6
1996–2000	5	4.0
2001–2005	2	1.6
योग	**125**	**100.0**

उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने वर्तमान पद कब ग्रहण किया उनके उत्तर से स्पष्ट होता है कि 1966–1970 के मध्य 10 (8.0 प्रतिशत) उत्तरादाताओं ने, 1971–1975 के मध्य 47 (37.6 प्रतिशत) उत्तरादाताओं ने अपना पद ग्रहण किया। 1976–1980 के मध्य 43 (34.4 प्रतिशत), 1981–1985 के मध्य 5 (4.0 प्रतिशत), 1986–1990 के मध्य 6(4.8 प्रतिशत), 1991–1995 के मध्य 7(5.6 प्रतिशत), 1996–2000 के मध्य 5(4.0 प्रतिशत) तथा 2001–2005 के मध्य 2(1.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना पद ग्रहण किया (तालिका 1.1)। अतः तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 1971–80 के मध्य अपना पद ग्रहण किया।

तालिका 1.2
भर्ती प्रक्रिया से उत्तरदाताओं की संतुष्टता

भर्ती प्रक्रिया से संतुष्टता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ, संतुष्ट हैं	103	82.4
संतुष्ट नहीं है	22	17.6
योग	**125**	**100.0**

उत्तरदाताओं से अगला प्रश्न पूछा गया कि जिस भर्ती प्रक्रिया से वे इस पद पर नियुक्त हुए हैं उस भर्ती प्रक्रिया से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। इसके उत्तर में 103 (82.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया तथा 22(17.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने नहीं में जवाब दिया। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता अपनी भर्ती प्रक्रिया से संतुष्ट हैं (तालिका 1.2)।

इसी से संबंधित अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि वे इस भर्ती प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो उनके अनुसार उचित भर्ती प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। जो उत्तरदाता संतुष्ट नहीं थे उन्होंने बताया कि भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी के साथ भाई–भतीजावाद के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।

कृषि सेवा अपनाने की प्रेरणाः

उत्तरदाताओं से अगला प्रश्न पूछा गया कि उन्हें कृषि सेवा अपनाने की प्रेरणा किससे मिली।

तालिका 1.3
कृषि सेवा अपनाने को प्रेरित किसने किया ?

प्रेरक	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
अपने पिताजी से	31	24.8
कृषि सेवा अधिकारी से	9	7.2
राजनेता से	–	–
स्वेच्छा से	58	46.4
परिस्थितिजन्य	23	18.4
अन्य	4	3.2
योग	**125**	**100.0**

तालिका 1.3 के अनुसार 31 (24.8 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को उनके पिताजी ने, 9(7.2 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को कृषि सेवा अधिकारी ने प्रेरित किया तथा किसी भी उत्तरदाता को राजनेता ने कृषि सेवा अपनाने को प्रेरित नहीं किया। 58 (46.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपनी इच्छा से तथा 23 (18.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने परिस्थितिजन्य कृषि सेवा को अपनाया है तथा 4(3.2 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने इसके अन्य कारण बताए जिसमें किसी के दादाजी ने प्रेरित किया तथा किसी ने रोजगार कार्यालय में विज्ञापन पढ़कर प्रेरित होना बताया। इससे स्पष्ट होता है कि

अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वेच्छा से कृषि सेवा को अपनाया है।

अब तक के सेवाकाल में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर विभिन्न विभागों में कार्य विवरणः

सहायक कृषि अधिकारियों से औपचारिक व अनौपचारिक साक्षात्कार के माध्यम से यह प्रश्न पूछा गया कि अब तक के सेवाकाल में सहायक कृषि अधिकारियों के पदों पर कहाँ–कहाँ किया तथा इसकी अवधि और स्थानान्तरण के कारण क्या थे, जिसके उत्तर का विवरण निम्नलिखित है :

विभाग– औपचारिक साक्षात्कार में प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों के अनुसार सहायक कृषि अधिकारियों ने उद्यान विभाग, कृषि विस्तार, तिलहन, कपास, जल ग्रहण, भू–संरक्षण, भूमि विकास बैंक, मंडी समिति, कृषि प्रसार अधिकारी के रूप में पंचायती राज व विकास विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, विपणन विभाग तथा कृषि विभाग में कार्य किया है। इनके अलावा सहायक कृषि अधिकारियों ने किसी भी विभाग में कार्य नहीं किया।

सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती में विभिन्न प्रभावी तत्वों का हस्तक्षेपः

सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती में भाई–भतीजावाद, जाति व धर्म, अधिकारियों की सिफारिश, राजनैतिक दखल आदि का कितना प्रभाव रहता है, इन सब की जानकारी प्रश्नावली के माध्यम से औपचारिक व अनौपचारिक साक्षात्कार के द्वारा ली गई है।

(1) सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती में भाई–भतीजावाद का प्रभावः

भर्ती में भाई–भतीजावाद के प्रभाव को नही मानने वाले या निष्पक्ष भर्ती को मानने वाले उत्तरदाता 37 (29.6 प्रतिशत) है। भर्ती में भाई–भतीजावाद के प्रभाव को 1 से 20 प्रतिशत तक मानने वाले उत्तरदाता 30 (24.0 प्रतिशत) 21 से 40 प्रतिशत तक मानने वाले 21 (16.8 प्रतिशत), 41 से 60 प्रतिशत तक मानने वाले उत्तरदाता 10 (8 प्रतिशत) हैं तथा 27 (21.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिय (तालिका 1.4)।

तालिका 1.4
सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती में भाई–भतीजावाद के प्रभाव का प्रतिशत

प्रतिशतता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निष्पक्ष	37	29.6
01–20	30	24.0
21–40	21	16.8
41–60	10	8.0
कोई जवाब नहीं	27	21.6
योग	**125**	**100.0**

(2) सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती में जाति व धर्म का प्रभावः

भर्ती में जाति व धर्म के प्रभाव को नही मानने वाले या निष्पक्ष भर्ती को मानने वाले उत्तरदाता 40 (32.0 प्रतिशत) है। भर्ती में 1 से 20 प्रतिशत तक जाति व धर्म का प्रभाव मानने वाले 31 (24.8 प्रतिशत) 21 से 40 प्रतिशत तक

मानने वाले 21 (16.8 प्रतिशत), 41 से 60 प्रतिशत तक मानने वाले 6 (4.8 प्रतिशत) उत्तरदाता है तथा 27 (21.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया (तालिका 1.5)

तालिका 1.5
उत्तरदाताओं की भर्ती में जाति व धर्म के प्रभाव का प्रतिशत

प्रतिशतता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निष्पक्ष	40	32.0
01–20	31	24.8
21–40	21	16.8
41–60	6	4.8
कोई जवाब नहीं	27	21.6
योग	**125**	**100.0**

(3) सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती में अधिकारियों की सिफारिश का प्रभावः

57 (45.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अधिकारियों की सिफारिश के प्रभाव को नहीं मानते हुए भर्ती को निष्पक्ष बताया। अधिकारियों की सिफारिश को 1 से 20 प्रतिशत तक मानने वाले उत्तरदाता 32 (25.6 प्रतिशत) 21 से 40 प्रतिशत तक मानने वाले 7 (5.6 प्रतिशत) 41 से 60 प्रतिशत मानने वाले 2(1.6 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं तथा 27 (21.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया (तालिका 1.6)

तालिका 1.6
सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती में अधिकारियों की सिफारिश के प्रभाव का प्रतिशत

प्रतिशतता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निष्पक्ष	57	45.6
01–20	32	25.6
21–40	7	5.6
41–60	2	1.6
कोई जवाब नहीं	27	21.6
योग	**125**	**100.0**

(4) सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती में राजनैतिक दखल का प्रभावः

तालिका 1.7 के अनुसार भर्ती में राजनैतिक दखल के प्रभाव को नहीं मानने वाले या निष्पक्ष भर्ती को मानने वाले उत्तरदाता 46(36.8 प्रतिशत) हैं, 1 से 20 प्रतिशत तक राजनैतिक दखल को मानने वाले 26 (20.8 प्रतिशत), से 21 से 40 प्रतिशत तक मानने वाले 23 (18.4 प्रतिशत) तथा 41 से 60 प्रतिशत तक मानने वाले 3 (2.4 प्रतिशत) उत्तरदाता है तथा 27 (21.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया।

तालिका 1.7

सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती में राजनैतिक दखल के प्रभाव का प्रतिशत

प्रतिशतता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निष्पक्ष	46	36.8
01–20	26	20.6
21–40	23	18.4
41–60	3	2.4
कोई जवाब नहीं	27	21.6
योग	**125**	**100.0**

(5) सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती में पैसे का प्रभावः

भर्ती में पैसे के प्रभाव को नहीं मानने या निष्पक्ष मानने वाले 48 (38.4 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं, 1 से 20 प्रतिशत तक पैसे का प्रभाव मानने वाले उत्तरदाता 23 (18.4 ⁄तिशत), 21 से 40 प्रतिशत तक मानने वाले उत्तरदाता 15(12.0 प्रतिशत) 40 से 60 प्रतिशत तक मानने वाले 12(9.6 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं तथा 27(21.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया (तालिका 1.8)

तालिका 1.8

सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती में पैसे के प्रभाव का प्रतिशत

प्रतिशतता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निष्पक्ष	48	38.4
01–20	23	18.4
21–40	15	12.0
41–60	12	9.6
कोई जवाब नहीं	27	21.6
योग	**125**	**100.0**

(6) सहायक कृषि अधिकारियों की निष्पक्ष भर्तीः

तालिका 1.9 के अनुसार 58 (46.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने भर्ती को निष्पक्ष बताया। 18 (14.4 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 1 से 20 प्रतिशत, 13 (10.4 प्रतिशत) ने 21 से 40 तथा 9 (7.2 प्रतिशत) ने 41 से 60 प्रतिशत भर्ती को निष्पक्ष बताया। 27 (21.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया।

तालिका 1.9
सहायक कृषि अधिकारीयों की निष्पक्ष भर्ती का प्रतिशत

प्रतिशतता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निष्पक्ष	58	46.4
01–20	18	14.4
21–40	13	10.4
41–60	9	7.2
कोई जवाब नहीं	27	21.6
योग	**125**	**100.0**

इस प्रकार इन सभी प्रश्नों के उत्तरों से स्पष्ट होता हैं कि भर्ती प्रणाली में निष्पक्षता का अभाव है तथा इन सभी तत्वों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती को प्रभावित किया है जिससे कृषि विभाग की कार्य प्रणाली भी प्रभावित होती है।

***व्याख्याता**
लोक प्रशासन विभाग
संस्कार भारती पी.जी. कॉलेज
बगरू, जयपुर (राज.)

संदर्भ सूची

1. प्रभुदत्त शर्मा, प्रशासनिक सिद्धांत, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2001, पृ. 365
2. कृषि निदेशालय, संस्थापन शाखा, पंत भवन, जयपुर
3. मानसिंह गुप्ता एवं अवधेश खण्डेलवाल, राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960–1994, किशोर बुक डिपो, पृ. 38
4. राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978, पृ. 45
5. राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978, पृ. 29
6. वित्त विभाग/कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार।